

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4665
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

झारखंड में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

†4665. श्री जयंत सिन्हा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) झारखंड में चिन्हित किये गए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों का ब्यौरा क्या है और इनके विकास के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं;
- (ख) वर्ष 2017-18 और 2018-19 में झारखंड राज्य के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक के संबंध में रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विद्यालयों की डिजिटल उन्नयन योजना का ब्यौरा क्या है और झारखंड में जनवरी 2020 तक उन्नयन किये गए विद्यालयों की जिले-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : झारखंड के बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, हजारीबाग/ गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची और साहिबगंज जिलों में 203 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की है जो 2018-19 से प्रभावी है जिसमें तीन पूर्ववर्ती केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) समाहित है। यह योजना प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में स्कूल शिक्षा की परिकल्पना करती है और इसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों की योजना बनाते समय विशेष फोकस जिलों (एसएफडी), शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) और वामपंथी चरमपंथी (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में भी स्थापित किए जाते हैं, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों को खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता और नामांकन और

प्रतिधारण अभियान तथा समावेशी शिक्षा के लिए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सुविधा प्रदान करना, जिसमें विकलांग छात्राओं को वजीफा देना शामिल है आदि सहित शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ख) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रेड देने के लिए 70 संकेतक आधारित मैट्रिक्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) तैयार किया है। पीजीआई 2017-18 और 2018-19 में झारखंड राज्य द्वारा प्राप्त ग्रेड नीचे दिए गए हैं:

राज्य	पीजीआई में ग्रेड	
	2017-18	2018-19
झारखंड	ग्रेड V	ग्रेड II

ग्रेड II- स्कोर 751-800, ग्रेड V- 601-650

(ग) : डिजिटल पहुँच प्रदान करने के लिए, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कक्षा VI से XII के लिए सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रावधान है। झारखंड राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्कूलों का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

संलग्नक

“झारखंड में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जयंत सिन्हा द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4665 के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं	जिलों के नाम	स्कूलों की संख्या जहां आईसीटी का कार्यान्वयन किया जा रहा है।	स्कूलों की संख्या जहां विभिन्न जिला निधि (सीएसआर, डीएमएफटी, तहत स्मार्ट कक्षा-कक्ष सुविधायें प्रदान आकांक्षी आदि) की गई हैं
1	बोकारो	50	62
2	चतरा	23	0
3	देवघर	43	0
4	धनबाद	80	0
5	दुमका	36	0
6	गढ़वा	28	14
7	गिरिडीह	50	0
8	गोड्डा	36	227
9	गुमला	27	0
10	हजारीबाग	67	0
11	जामताड़ा	33	0
12	खूंटी	26	41
13	कोडरमा	19	0
14	लातेहार	22	0
15	लोहरदगा	14	6
16	पाकुड़	29	59
17	पलामू	47	10
18	पश्चिमी सिंहभूम	56	20
19	पूर्वी सिंहभूम	96	186
20	रामगढ़	41	10
21	रांची	80	0
22	साहिबगंज	26	25
23	सरायकेला-खरसवान	32	0
24	सिमडेगा	13	93
	झारखंड	974	753
